न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 230 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/248)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 02.08.2021

1. श्री माधवलाल पिता स्वर्गीय श्री रूपलाल जटिया, निवासी बॉण्ड उर्फ बुल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–
1. श्री मन्नाराम डांगी –अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या–017 / 2019 निर्णय दिनांक 17.02.2021

निर्णय

दिनांक 02.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 017 / 2019 निर्णय दिनांक 17.02.2021 के विरूद्ध दिनांक 30.03.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सी. पी. सी. के साथ इस न्यायालय को पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध तहसीलदार, भूपालसागर के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा ग्राम बुल, तहसील भूपालसागर की नवीन आराजी नम्बर 1190 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड

रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 04.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेंट द्वारा बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश न्याय नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 017/2019 निर्णय दिनांक 17.02.2021 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को विधिवत् सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 17.02.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार, भूपालसागर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नही दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलांट का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित है तो अपीलांट इस संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जबकि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात के संबंध में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत बुल द्वारा अपीलांट के पिता के नाम पट्टा संख्या 2061 दिनांक 07.11.1981 जारी किया गया है। इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। हस्तगत अपील में इस तथ्य को देखा जाना उचित प्रतीत नही होता है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया*

जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 का अवलोकन किया। अपीलांट/अप्रार्थी को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.07.2019 में प्रकरण संख्या 001/2019 दिनांक 04.07.2019 अंकित की गई है जबकि संशोधित निर्णय दिनांक में भी प्रकरण संख्या 046/2019 दिनांक 04.07.2019 अंकित की गई है, जो कि लिपिकीय भूल की श्रेणी की परिलक्षित होती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्ररकण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नही होते है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय 22.08.2019 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 017/2019 अनवानी माधवलाल बनाम सरकार अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 046/2019 निर्णय दिनांक 22.07.2019 संशोधित निर्णय दिनांक 22.08.2019 अनवानी सरकार बनाम माधवलाल को यथावत रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मन्नाराम डांगी उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट (तहसीलदार) द्वारा ग्राम बुल तहसील भूपालसागर कि नवीन आराजी नम्बर 1190 रकबा 0.02 हैक्टेयर पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बताकर धारा 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत विधिवत प्रोपर नोटिस तामिल कराये बिना एक तरफा कार्यवाही कर अपीलांट को तारीख 04.07.2019 को विवादित आराजी से बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली, पेनल्टी का आदेश करने से पूर्व अपीलांट को मिसल नम्बर 46/2019 का नोटिस जारी कर पेशी तारीख 11.07.2019 को उपस्थित होने हेतु जारी किया वह नोटिस तारीख पेशी निकलने के बाद रेस्पोडेंट के अधीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा तारीख 21.07.2019 को लाकर नोटिस दिया जिस पर अपीलांट तारीख 22.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब लेकर गया व पेश करने लगा तो अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) बताया कि इस पत्रावली का निस्तारण तारीख 04.07.2021 को हो गया है, इस निर्णय की नकल तारीख 06.08.2019 को प्राप्त करने पर पता चला कि यह निर्णय मिसल नम्बर 01/2019 के तहत दिनांक 04.07.2019 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर पारित किया गया है, जबकि अपलीांट को मिसल नम्बर 01/2019 का कोई नोटिस तामिल नहीं हुआ। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) को बताया तो उन्होने आनन–फानन में अपीलांट को जारी मिसल नम्बर 46/2019 के नोटिस पर काट कर तारीख 01.07.2021 अंकित कर दिया जबकि नोटिस जारी होने कि तारीख 04.07.2019 अंकित रह गई जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने कानुनी प्रावधानों की पालना नही की और बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश करने में भारी कानुनी भुल की है। विवादित आराजी का रकबा हल्के आबादी के मध्य आबादी की भूमि पर स्थित है जिस बारे में ग्राम पंचायत बुल द्वारा अपीलांट के पिता स्व. रूपलाल पिता गोपीलाल चमार के नाम पर मिसल संख्या 2 सन् 81, 82 पट्टा क्रमांक 2061 के जरिये दिनांक 07.11.1981 से पट्टा जारी कर रखा है तथा पट्टे शुदा भू–खण्ड के पडौस पूर्व– निर्भय सिहं का मकान, पश्चिम– भोपालसिंह का भूखण्ड, उत्तर–

भूपालसागर से रोलिया सडक, दक्षिण– सरकारी पडत भूमि है। जिसकी साईज 45 बाई 30 वर्गफीट है, जिस पर पट्टा मिलने के बाद अपीलांट के पिता रूपलाल ने भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनाकर कच्चा मकान बना रखा था। दिनांक 18.06.2019 को भारी बारीश होने से कच्चा मकान क्षति ग्रस्त होकर गिर गया, जिसे पुनः निर्माण करने हेतु अपीलांट की माता केसी बाई ने निर्माण चालु किया तो अपीलांट से रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) को शिकायत कर दी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलांट की माता द्वारा किये जाने वाले निर्माण को रूकवाने पर उतारू है। अपीलांट की माता ने तारीख 29.07.2019 को सिविल न्यायालय, कपासन के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र एवं मिसल नम्बर /2019 सी. एम. के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तामिलें होकर जवाब हेतु पेशी नियत थी, जिससे भी मामला सबज्युडीश है। साथ ही निवेदन किया कि विवादित आराजी के बारे में राजस्व रेकार्ड की स्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजी के नवीन आराजी नम्बर 1190 कुल रकबा 0.95 हैक्टेयर है, जिसके सेटलमेंट से पूर्व पुराने आराजी नम्बर 655/1 किस्म बिलानाम आबादी दर्ज तथा अपीलांट के पिता रूपलाल को हल्के आबादी में होने के कारण भी उक्त आराजी नम्बर 1190 में से रकबा 0.02 हैक्टेयर, पर ग्राम पंचायत बुल द्वारा मिसल नम्बर 2 के जरिये पट्टा संख्या 2061 दिनांक 07.11.1981 को जारी किया गया जिसके बाद अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर अपीलांट की माता केसी बाई को कब्जा होकर केसी बाई ने मकान बारीश में गिर जाने से निर्माण चालु किया जिससे अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया, न निर्माण किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित करने में अवैधानिकता की है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 1995 (1) DNJ (SC) 208, 2002 (3) DNJ (RAJ) 1134 CBD & 2006 (1) RRT (HC RAJ) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नही रखती हे, जिससे अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्ररकण में यह सुस्पष्ट है कि यह अपील अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार भोपालसागर के निर्णय जिसमें अपीलाण्ट को ग्राम बुल की आराजी नं0 1190 में 14 मीटर **X** 15 मीटर की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने व बेदखली के आदेश के विरूद्ध उसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां अपील की गयी एवं उक्त अपील में भी उसे अतिक्रमण से बेदखल का पात्र माना गया, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा इस द्वितीय अपील में प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. में पेशशुदा निम्न 7 दस्तावेजात को रेकर्ड पर रखने की अनुज्ञा पर चर्चा करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि उक्त दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड एवं न्यायालय की प्रमाणित प्रतिलिपियां है तथा प्रकरण से सुसंगत है, अतएवं न्यायहित में उन्हें रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

1. मिलान क्षेत्रफल गांव बुल तहसील भुपालसागर (कपासन)
2. प्रमाणित प्रति 2 पृष्ठ जमाबंदी ग्राम बुल सम्वत् 2039–32
3. खसरा गिरदावरी गांव बुल सम्वत 2049 से 52
4. आबादी भूमि का पट्टा गांव बुल
5. कमिश्नर रिपोर्ट सिविल न्यायालय कपासन द्वारा प्रमाणित 6 पृष्ठ

6. आदेशिका मय दाया प्र.सं. 56/19 केशीबाई बनाम तहसीलदार भुपालसागर 15 पृष्ठ
7. आदेशिका मय प्रार्थना–पत्र स्थाई निषेधाज्ञा मु.सं. 49/2019 केशीबाई बनाम तहसीलदार, भुपालसागर 16 पृष्ठ

अब हम अपील में अपीलाण्ट के अपील उजरात के बरूए प्रकरण का अवलोकन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान में आराजी नं0 1190 रकबा 0.95 हैक्टेयर निःसंदेह चारागाह के रूप में दर्ज रेकर्ड है। देखने योग्य तथ्य यह है कि अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त आराजी नं0 1190 रकबा 0.95 हैक्टेयर का साबिक नम्बर 655/1 मीन से बना है। जमाबंदी सम्वत् 2029–32 में आराजी नं0 655/1 आबादी दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2049–52 में भी आराजी नं0 655/1 किस्म आबादी दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा आबादी भूमि का पट्टा भी प्रस्तुत किया है। सिविल न्यायालय की कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 का अवलोकन किया गया तो उसमें पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया हुआ है कि पटवारी साहब से जानकारी लेने पर बताया कि आराजी नं0 1190 रकबा 0.95 हैक्टेयर जो राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में चारागाह दर्ज है तथा पूर्व में यह आराजी आबादी में दर्ज थी। जो नक्शा सिविल न्यायालय में कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी यह स्पष्ट आता है कि विवादित भूमि के दोनों ओर पक्के मकानात बने हुए हैं। अपीलाण्ट द्वारा सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय दोनों में उक्त भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत कर रखा है। आश्चर्यजनक रूप में तहसीलदार की पत्रावली में भी पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 21.08.19 में यह वर्णित है कि माधवलाल ने आराजी नं0 1190 किस्म चरनोट पर मकान का निर्माण चला रखा है, उसके दायी तरफ पूर्व में भगवतीनाथ पिता कमलेशनाथ व सुखनाथ पिता सायरनाथ ने मकान का निर्माण कर रखा है जो पक्के है एवं बाई तरफ भगवतसिंह पिता प्रतापसिंह ने मकान का निर्माण कर रखा है, जो पक्का है। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपील के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन किया गया –

1. 1995 (1)**DNJ** (**SC**) 208

2. 2002(3) **DNJ** (**Raj**)1134 (**DB**)

3. 2006(1) **RRT** 272 (**HC Raj**)

उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि आराजी नं0 1190 में साबिक आराजी नं0 655/1 का कुछ भाग निःसंदेह शामिल हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साबिक आराजी नं0 655/1 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा जिसकी किस्म आबादी थी, का कोई हिस्सा जैसाकि मिलान क्षेत्रफल में वर्णित है, वह वर्तमान में चारागाह आराजी नं0 1190 में शामिल हुआ है अथवा नहीं, इस बाबत् या तो अपीलाण्ट को अवसर प्रथम न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नहीं मिला एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने उक्त दस्तावेज उनकी पत्रावली में उपलब्ध होने के बावजूद भी इस बाबत् कोई विवेचन नहीं किया। यह और भी अधिक स्पष्ट होता है कि सिविल न्यायालय में कमिश्नर द्वारा जो पर्चा मौका बनाया है, उसमें अपीलाण्ट की भूमि की दायी व बायी तरफ पक्के मकानात बने हुए हैं तो अकेले अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही क्यों की जा रही है, इस बाबत् भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की पत्रावली में भी अपीलाण्ट के भूखण्ड के दोनों तरफ पक्के मकान होना पटवारी की रिपोर्ट में वर्णित है। इन समग्र परिस्थितियों में जब कि अपीलाण्ट के पास आबादी का पट्टा है तथा मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रेकर्ड से भी यह संभावना प्रकट आती है कि वर्तमान आराजी नं0 1190 में जिसकी किस्म चारागाह है, उसके साबिक आराजी नं0 655 जिसकी किस्म आबादी थी, उसका कुछ भाग शामिल है, तो यह जांच का विषय बनता है कि अपीलाण्ट जहां निर्माण कर रहा है, वह भूमि साबिक आराजी नं0 655 जिसकी किस्म आबादी थी, उसका तो कोई भाग नहीं है, अर्थात् प्रकरण में नक्शे के अवलोकन से यह देखा जाना वांछनीय है कि साबिक आराजी नं. 655 जिसकी किस्म आबादी थी एवं जिसका पट्टा अपीलाण्ट के पास उपलब्ध है, वह भूमि त्रुटिपूर्ण रूप से आराजी नं0 1190 चारागाह तो नहीं बन गयी है। सद्भावी रूप से इन तथ्यों के संबंध में अपीलाण्ट अपना पट्टा भी प्रस्तुत करता है एवं उसके द्वारा सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में भी इस बाबत् चाराजोही कर रखी है। अतः इस दौरान उसे बेदखल कर दिये जाने

पर विशेष रूप से हमारे उपरोक्त प्रेक्षण के अनुसार विधिवत् रेकर्ड अनुसार जांच किये बिना उचित नहीं होगा। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना जांच के जो **Pick & Choose** के आधार पर कार्यवाही की है, उसे हम उचित नहीं मानते, अतएवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भुपालसागर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तथ्यों की जांच करें कि अपीलाण्ट के पास जो पट्टा है, वह पट्टा साबिक आराजी नं0 655 से संबंधित है अथवा नहीं तथा यदि आराजी नं0 655 से ही संबंधित है तो वर्तमान आराजी नं0 1190 जिसकी किस्म चारागाह है, उसमें अपीलाण्ट को मिले पट्टे वाली आराजी नं0 655 शामिल है अथवा नहीं।

उपरोक्त निर्देशों के साथ अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि वह तीन माह में इस प्रकरण का आवश्यक रूप से जांच कर निष्पादन करें एवं अपीलाण्ट को पाबंद किया जाता है कि वह इस जांच तक मौके पर अन्य कोई निर्माण नहीं करें। यदि कोई नवनिर्माण करें तो तहसीलदार उसे हटाने को स्वतंत्र रहेंगे। पक्षकारान आगामी पेशी दिनांक 07.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर